इ–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 226 / 16–17

विकास कुमार बनाम् राकेश पोद्दार

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक विकास कुमार, पे0–योगेन्द्र प्रसाद यादव, सा0–गंगासागर, महागामा, थाना–महागामा के आवेदन पर मौजा–गंगासागर नं0–693, जमाबंदी नं0–04, दाग सं0–73, रकवा– 00–01–13 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–गंगासागर नं0–693, जमाबंदी नं0–04, कुल रकवा–61–18–17 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट में गणेश राउत वगै0 के नाम से दर्ज है। आपसी बटवारा के तहत आवेदक के पिता को दाग नं0–73, रकवा– 00–09–13 धूर भूमि हिस्सा में मिला है। उक्त दाग नं0 के अंदर रकवा– 00–01–13 धूर जमीन पर आवेदक ने अपने उपभोग एवं रोजी रोजगार के लिए पक्का मकान बनाया है। आवेदक को विपक्षी से दोस्ताना संबंध रहने के कारण आवेदक के अनुरोध पर दो माल के लिए रहने हेतु दिया गया था। दो माह के बाद विपक्षी द्वारा मकान खाली करने के लिए कहा गया, तो विपक्षी टालमटोल करने लगे। विपक्षी मकान खाली नहीं करना चाह रहे हैं एवं जबरदस्ती आवेदक का मकान हड़पना चाहते हैं, जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 का उल्लंघन है। विपक्षी दबंग किस्म का व्यक्ति है तथा असमाजिक तत्वों के बलबूते आवेदक का मकान खाली नहीं करना चाहते है। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा विपक्षी को मौजा–गंगासागर नं0–693, जमाबंदी नं0–04, दाग सं0–73, रकवा–00–01–13 धूर जमीन से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है। उक्त दाग नं0 की भूमि पर विपक्षी का पक्का मकान बना हुआ है तथा वे सपरिवार निवास कर रहे हैं। बने हुए मकान पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 लागू नहीं होता है। इसलिए उक्त वाद नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं है। सम्पूर्ण आरोप गलत एवं निराधार है। सत्य यह है कि मौजा–गंगासागर नं0–693, जमाबंदी नं0–04, दाग सं0–73, रकवा–00–00–16 धूर जमीन वर्ष 1936 में कुरफा के माध्यम से कारू भगत, पे0–जीतू भगत, सा0–बाराहाट, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा से लिया था और उसी समय से मकान बनाकर दखलकार चले आ रहे हैं। आवेदक के दादा लखन राउत द्वारा वर्ष 1936 के कुरफा के आधार पर पंचायत में पंचनामा एवं शपथपत्र सं0–01, दिनांक–15.04.87 को बना दिया है। विपक्षी के दादा के समय से ही विपक्षी का मकान बना हुआ है। अतः उक्त भूखंड पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–109 / रा0, दिनांक–09.02.2019 में संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में भी यह उल्लेख किया गया है कि मौजा–गंगासागर नं0–693, जमाबंदी नं0–04, दाग सं0–73 के अंश रकवा–00–00–16 धूर जमीन पर दो मंजिला मकान बना हुआ है, जिसमें विपक्षी सपरिवार वास कर रहे हैं। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा–गंगासागर नं0–693, जमाबंदी नं0–04, दाग सं0–73 के अंश रकवा–00–00–16 धूर जमीन पर दो मंजिला मकान बना हुआ है, जिसमें विपक्षी सपरिवार निवास कर रहे हैं। बने हुए मकान पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।
01.03.19
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

01.03.19
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen by petitioner's Advocate 11/3/19

Seen 11/3/19

अभिलेख उपस्थापित।

18.6.19 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा गोड्डा के डी० ओ० नं०-214/विधि, दिनांक 21.05.19 के द्वारा उपायुक्त गोड्डा के न्यायालय के आर० एम० ए० नं०- 04/2019-20 के क्रम में अभिलेख की मांग की गयी है।

अतः अभिलेख भेजें।

18/6/19
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:24:16 +05:30
Location: 192.168.1.51